कार्यालय,
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
सी–119, सेक्टर–18, नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
Email ID : adf_noida@rediffmail.com

प्रेस–विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–02/2019/517/36–03–2019–02(सा0)/14 दिनांक 01 अप्रैल 2019 के आदेशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के प्रथम चरण में दिनॉकः 11–04–2019 दिन–बृहस्पतिवार को जनपद–गौतमबुद्धनगर में होने वाले मतदान दिवस् पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा–135 (ख) के प्रावधानों के अनुसार गौतमबुद्धनगर क्षेत्र में स्थित कारखाना अधिनियम–1948 के अर्न्तगत पंजीकृत अविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर प्रदान किया जायेगा तथा समस्त अनविरल प्रक्रिया वाले कारखानों में मतदान के दिवस् (11 अप्रैल, 2019 दिन बृहस्पतिवार) को सार्वजनिक अवकाश रहेगा तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन कारखानें में कार्यरत् कर्मकारों से कोई कार्य नहीं लिया जाएगा।

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।
दिनांकः 01.04. ,2019

पत्र. सं0 518-24 एफ/उक्त / DDF-कैम्प

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर ।
2– निदेशक कारखाना उ0प्र0, कानपुर ।
2– उप निदेशक कारखाना, उ0प्र0, नोएडा संभाग, गौतमबुद्धनगर।
4– उप श्रमायुक्त, गौतमबुद्धनगर।
5– जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त विज्ञप्ति को जनहित में निःशुल्क समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करे ।
6– समस्त औद्योगिक संगठन, नोएडा गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया शासन के उक्त आदेश से अपने औद्योगिक सदस्यों को अवगत कराने का कष्ट करें ।
7– समस्त लेबर लॉ एडवाईजर एसोसियेशन नोएडा गौतमबुद्धनगर ।

(बृजेश कुमार सिंह)
सहायक निदेशक कारखाना, उ0प्र0,
प्रभारी–नोएडा क्षेत्र, गौतमबुद्धनगर।